



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 30-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 28, 2020 (SRAVANA 6, 1942 SAKA)

PART – I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2020

संख्या 34/REG-253/Vol-IV.— विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) में निहित प्रावधानों की अनुपालना में 15.03.1984 से 13.08.1998 तक यथा लागू तथा हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10) की धारा 56 (vi) में निहित प्रावधानों के साथ पढ़े गए, हरियाणा के राज्यपाल कार्यालय आदेश की तिथि से तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की अधिसूचना संख्या 160/आरईजी-96 दिनांक 01.01.1993 के तहत जारी चिकित्सा सेवाओं की मौजूदा भर्ती तथा पदोन्नति नीति के पैरा 4.0 के बाद निम्नलिखित परिवर्धन अधिसूचित करते हैं:—

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-79 के खण्ड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में अन्य सभी सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, अधिसूचना संख्या 55/आरईजी-96 दिनांक 01.03.90 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिसूचना संख्या 118/आरईजी-96 दिनांक 16.07.1991 के तहत अधिसूचित चिकित्सा सेवाओं की मौजूदा भर्ती तथा पदोन्नति नीति के पैरा 4.0 के बाद निम्नलिखित परिवर्धन करता है:—

4.1 वरिष्ठ भैषजिक:

पद वरिष्ठता एवं गुण के आधार पर भैषजिक से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे बशर्ते की एक भैषजिक के पास भैषजिक के रूप में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा का अनुभव रखता हो।

4.2 मुख्य भैषजिक:

पद वरिष्ठता एवं गुण के आधार पर वरिष्ठ भैषजिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे बशर्ते की एक वरिष्ठ भैषजिक के पास वरिष्ठ भैषजिक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा हो।

ये संशोधन 01.01.1993 अर्थात् कार्यालय आदेश जारी होने की वास्तविक तिथि से लागू माने जाएंगे।

चण्डीगढ़:
दिनांक 11 मई, 2020.

टी. सी. गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**POWER DEPARTMENT****Notification**

The 11th May, 2020

No. 34/REG-253/Vol-IV.— In compliance with provisions contained in section 79(c) of Electricity Supply Act, 1948 as applicable w.e.f 15.03.1984 to 13.08.1998 and read with provisions contained in section 56 (vi) of Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No. 10 of 1998), the Governor of Haryana is pleased to notify the following additions after para 4.0 of the existing Recruitment and Promotion Policy of Medical Services issued by erstwhile HSEB vide Notification No. 160/REG-96 dated 01.01.1993 w.e.f. date of office order:-

In exercise of powers conferred under Clause (c) of Section-79 of the Electricity (Supply) Act, 1948 and all other enabling powers in this behalf, HSEB is pleased to make the following additions after para 4.0 of the existing Recruitment and Promotion Policy of Medical Services notified vide Notification No. 55/Reg-96 dated 1.3.90 read with Notification No. 118/Reg-96 dated 16.7.91 as under:-

4.1 Sr. Pharmacist:-

The post shall be filled up by promotion from Pharmacist on seniority-cum-merit basis provided a pharmacist possesses minimum experience of 5 years regular service as Pharmacist.

4.2 Chief Pharmacist:-

The post shall be filled up by promotion from amongst the Sr. Pharmacist on the basis of seniority-cum-merit, provided a Sr. Pharmacist possesses minimum 3 years regular service of Sr. Pharmacist.

These amendments are deemed to have come into force with effect from 01.01.1993 i.e. actual date of issuance of office order.

Chandigarh:
The 11th May, 2020.

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Power Department.